INTERVIEW PREPARATION

CURRENT AFFAIRS

By Shridhant Joshi Sir

MD, Kautilya Academy

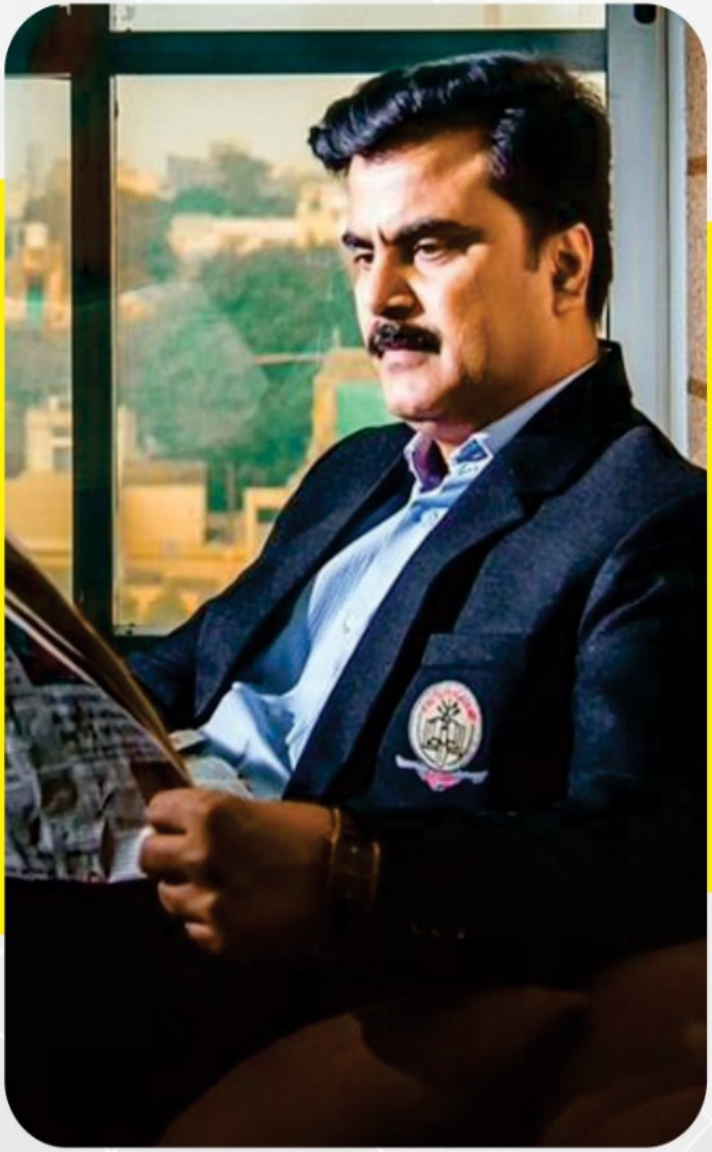

कौटिल्य एकेडमी

IAS, IPS, IRS, MPPSC & OTHER STATES PCS

www.kautilyaacademy.com, www.kautilyaacademy.in

Mob : 9425068121, 9893929541

~~अनुच्छेद-370~~ सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही ठहराया

सात दशक का दंश खत्म

जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक हो चुनाव, जल्द वहाल हो राज्य का दर्जा : सुप्रीम कोर्ट

बाला दीक्षित ● नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 समाप्त करने को चुनौती देने वाले लोगों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 समाप्त करने की प्रक्रिया वैध है। राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की संस्तुति के बगैर अनुच्छेद-370 को समाप्त करने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अनुच्छेद-370 समाप्त करने की एकतरफा घोषणा कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की दुर्भावना नहीं थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद-370 एक अस्थायी प्रविधान था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को भी सही ठहराया, लेकिन साथ ही कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर, 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश भी दिया।

उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद-370 अक्टूबर, 1949 में लागू हुआ था। इसने कश्मीर को आंतरिक प्रशासन की स्वायत्तता प्रदान की थी, जिससे उसे वित्त, रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर सभी मामलों में अपने कानून बनाने की अनुमति मिल गई थी। इसके तहत राज्य ने एक अलग संविधान व अलग ध्वज बनाया था और बाहरी लोगों को क्षेत्र में संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया था। 1954 में एक अनुच्छेद-35ए जोड़ा गया था जिसने राज्य के विधायकों को राज्य के स्थायी निवासियों के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार दिया था। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 व अनुच्छेद-35ए को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के जरिये इसे चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं में जम्मू-कश्मीर के दो प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी के नेता भी शामिल थे। याचिकाओं में जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में बांटे जाने के कानून जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को भी चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 दिन चली सुनवाई पूरी होने पर पांच सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को यह ऐतिहासिक फैसला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कुल तीन फैसले आए हैं, लेकिन सभी फैसले एक दूसरे से सहमति के हैं।

फैसले की अन्य खास बातें

- भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू-कश्मीर के पास न तो बाह्य संप्रभुता शेष रही और न ही आंतरिक।
- अनुच्छेद-370 की कोई भी व्याख्या यह नहीं कह सकती कि भारत के साथ जम्मू-कश्मीर का एकीकरण अस्थायी था।
- जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक निष्पक्ष सत्य एवं सुलह आयोग स्थापित करने की सिफारिश।
- संवैधानिक संरचना में केंद्र को अधिक प्रभावी शक्तियां हासिल, जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों का गठन शामिल है।

^ अनुच्छेद-370 पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में निर्णय सुनाने के दौरान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (मध्य में), न्यायाधीश बीआर गवई (बाएं), संजय किशन कौल (बाएं से दूसरे), संजीव खन्ना (बाएं से चौथे) तथा सूर्यकांत ● पीटी

प्रक्रिया संविधान सम्मत

फैसले में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 खत्म करने की प्रक्रिया को संविधान सम्मत ठहराते हुए कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के भारत में शामिल होने का विलय पत्र निष्पादन के बाद और 25 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के पास संप्रभु राज्य का कोई तत्व नहीं बचा था। जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता थी, न बाहरी। अनुच्छेद-370 में असमान संघवाद का तत्व था, न कि संप्रभुता का। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग तर्कसंगत होना चाहिए और उद्देश्य से उसकी संबद्धता होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस शक्ति को चुनौती देता है उसे प्रथमदृष्टया साबित करना होता है कि वह दुर्भावना से किया गया था या इसके बाह्य कारण थे।

कुल 476 पृष्ठ के तीन फैसले

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के तीनों फैसले मिलाकर कुल 476 पृष्ठ के हैं। इसमें से प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्वयं की ओर से और जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से 352 पेज का फैसला दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने 121 पेज का अपना अलग से फैसला दिया है। इस फैसले में जस्टिस कौल ने जस्टिस चंद्रचूड़ के मुख्य फैसले से सहमति जताई और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सत्य एवं सुलह आयोग के गठन की सिफारिश की है। जस्टिस संजीव खन्ना ने तीन पेज का अपना छोटा सा फैसला दिया है और जस्टिस चंद्रचूड़ व जस्टिस संजय किशन कौल के फैसले से सहमति जताते हुए कहा है कि अनुच्छेद-370 अस्थायी प्रविधान था।

राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं अधिसूचना

राष्ट्रपति की अनुच्छेद-370 समाप्त करने की शक्ति और अधिसूचना को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। राष्ट्रपति अनुच्छेद-370(3) में मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद-370 समाप्त करने की एकतरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को इसके लिए राज्य सरकार की सहमति लेने या अनुच्छेद-370(1)(डी) के दूसरे उपबंध के तहत राज्य की ओर से काम कर रही केंद्र सरकार की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद-370(1) के तहत शक्ति का निरंतर प्रयोग इंगित करता है कि संवैधानिक एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद-370(3) के तहत जारी घोषणा एकीकरण प्रक्रिया की परिणति है।

भारत का संविधान संवैधानिक शासन की संपूर्ण संहिता

फैसले में कहा गया है कि भारत का संविधान संवैधानिक शासन की संपूर्ण संहिता है। सीओ-273 के जरिये जम्मू-कश्मीर में संपूर्णता के साथ भारत का संविधान लागू करने के बाद जम्मू-कश्मीर का संविधान निष्क्रिय और व्यर्थ हो गया है। फैसले में साफ किया गया है कि अनुच्छेद-तीन के पहले उपबंध के तहत राज्य विधानसभा का नजरिया अनुशंसात्मक है। इसलिए पहले उपबंध के तहत संसद की उद्घोषणा वैध है और उसमें कोई दुर्भावना नहीं है।

अनुच्छेद-370 सही फैसला >> पेज-5
नजरिया बदलें >> पेज-6
एक और ऐतिहासिक दिन >> संपादकीय (पेज-6)

कोर्ट ने इन सवालों पर किया विचार

- क्या अनुच्छेद-370 का प्रविधान अस्थायी प्रकृति का था या फिर उसे संविधान में स्थायी दर्जा प्राप्त हो गया था?
- क्या अनुच्छेद 370(1)(डी) की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद-367 में संशोधन कर राज्य की संविधान सभा की जगह विधानसभा करना संविधान सम्मत है?
- क्या अनुच्छेद 370(1)(डी) की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत का संपूर्ण संविधान जम्मू-कश्मीर में लागू किया जा सकता है?
- क्या जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की संस्तुति के बगैर राष्ट्रपति का अनुच्छेद-370 को समाप्त करना संविधान सम्मत है?
- क्या जम्मू-कश्मीर में 20 जून, 2018 को राज्यपाल शासन पारित करना और उसके बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग करना संविधान सम्मत था?
- क्या जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर, 2018 को अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति शासन पारित किया जाना संविधान की नजर में वैध था?
- क्या जम्मू-कश्मीर को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 के जरिये दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया जाना वैध था?
- क्या अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान जब विधानसभा या तो भंग हो या निलंबित हो, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया जा सकता है?

मध्य प्रदेश में अब मोहन राज

राज्य ब्यूरो, भोपाल

- उज्जैन से भाजपा विधायक मोहन यादव होंगे 19वें मुख्यमंत्री
- विधायक दल की बैठक में खुद का नाम सुनकर चौंक गए यादव
- निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रखा उनके नाम का प्रस्ताव
- नरेन्द्र सिंह तोमर होंगे विधानसभा अध्यक्ष

भोपाल में सोमवार को भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए मोहन यादव को बधाई देते कैलाश विजयवर्गीय। मौके पर शिवराज सिंह चौहान व पार्टी की मप्र इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। प्रेट्र

सभी कयासों और संभावनाओं को झुठलाते हुए भाजपा ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे नाम की घोषणा की, जिसने सभी को चौंका दिया। विधायक दल की बैठक में अपना नाम सुनकर उज्जैन (दक्षिण) से भाजपा विधायक डा. मोहन यादव खुद ही चौंक गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे यादव प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही 18 वर्ष बाद भाजपा में नई पीढ़ी सरकार की कमान संभालेगी। इस निर्णय के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी चर्चा में है।

भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए सोमवार को भोपाल में बैठक हुई। इसमें शिवराज सिंह चौहान ने जब विधायक दल के नेता के लिए ओबीसी वर्ग से आने वाले डा. मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा तो खुद यादव को भरोसा नहीं हुआ और वह अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। बैठक में शामिल अन्य विधायक भी चौंक गए। कुछ क्षण के बाद डा. मोहन यादव खड़े हुए तब विधायकों ने उनका स्वागत करते हुए तालियां बजाई। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और अन्य बड़े नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। डा. मोहन यादव के नाम की घोषणा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। डा. मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद डा. यादव ने राज्यपाल डा. मंगुभाई पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाजपा सूत्रों के अनुसार डा. मोहन यादव को 13 दिसंबर को शपथ दिलाई जा सकती है। शपथ-ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं।

जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल होंगे उप मुख्यमंत्री

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उप मुख्यमंत्री के रूप में विंध्य क्षेत्र के राजेंद्र शुक्ल और एससी वर्ग के जगदीश देवड़ा का नाम घोषित किया है। दोनों शिवराज कैबिनेट में मंत्री थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। उन्हें केंद्रीय मंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था। शिवराज सिंह ने राज्यपाल को अपना त्याग-पत्र सौंप दिया। राज्यपाल ने उन्हें नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के निर्देश दिए हैं।

मप्र में यादव मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने उप्र और बिहार को साधा पेज>>4

सुरक्षित यातायात

कारिडोर आधारित उपाय बचा सकते हैं 40,000 जिंदगियां

सेव लाइफ फाउंडेशन और विश्व बैंक ने जारी की सड़क सुरक्षा पर रिपोर्ट, 13 नवाचारों के जरिये दिखाया गया सुधार का रोडमैप, गडकरी बोले, रिपोर्ट का किया जाएगा व्यापक विश्लेषण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कारिडोर आधारित सड़क सुरक्षा उपायों से हर वर्ष 40 हजार से अधिक लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। शहर आधारित ई-इंफोर्समेंट महानगरों में सड़क हादसों और उनमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक घटा सकता है। विश्व बैंक और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से सेव लाइफ फाउंडेशन के एक अध्ययन में ये निष्कर्ष सामने आए हैं।

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को यह अध्ययन रिपोर्ट जारी की, जो 13 ऐसे नवाचारों पर आधारित है जो सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए और उनके सार्थक नतीजे सामने आए। गडकरी ने देश में सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। सेव लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ पीयूष तिवारी ने कहा कि 2018 से 2022 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में मौतें सात प्रतिशत बढ़ी हैं। सभी राज्य इस रिपोर्ट को रोड सेफ्टी की गाइडलाइन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गडकरी ने पीयूष तिवारी से यह कहा भी कि वह इन उपायों के बारे में सभी राज्यों को भी अवगत कराएं ताकि वे अपने अनुकूल प्रयासों को अपना सकें। यह रिपोर्ट कई उल्लेखनीय उदाहरणों पर प्रकाश डालती है। उदाहरण के लिए मुंबई-पुणे नेशनल हाईवे की जीरो फैटेलिटी कारिडोर (जेडएफसी) परियोजना ने 2018 से 2021 के बीच मृत्यु दर में 61 प्रतिशत की कमी की। कारिडोर आधारित सुरक्षा उपायों का मतलब यह है कि किसी सड़क के एक निश्चित हिस्से को कई उपायों के जरिये सुरक्षित बनाया जाता है। रिपोर्ट में सबरीमाला सेफ जोन प्रोजेक्ट का भी जिक्र है, जहां 2019 से 2021 के बीच शून्य सड़क दुर्घटना का रिकार्ड कायम किया गया। हालांकि इस अवधि में 2020 का वर्ष भी शामिल है जब कोविड की पाबंदियों के कारण वाहनों की आवाजाही सीमित थी। भारत सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से दुनिया में सबसे अधिक जोखिम वाला देश है।

सड़क परिवहन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में 1,68,491 लोगों को हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी और 4,43,366 लोग घायल हुए। इस संख्या का मतलब है कि हर दिन 461 लोगों की जान दुर्घटनाओं में जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 13 स्थानों के उदाहरण के आधार पर सड़क हादसों में कमी लाने का रास्ता बताया गया है, वहां सुरक्षा के लिए 360 डिग्री दृष्टिकोण अपनाया गया। इनमें सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण, संकेतक आदि की स्थापना, प्रभावी और लक्ष्य आधारित इंफोर्समेंट और आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया में सुधार के कदम शामिल हैं। फाउंडेशन के अनुसार, केवल कारिडोर आधारित उपाय ही नहीं, बल्कि नेटवर्क और राज्य आधारित उदाहरणों के जरिये भी सड़क सुरक्षा की राह दिखाई गई है।

नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर रिपोर्ट जारी करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। एएनआइ

कई प्रशिक्षण संस्थान खोलने का काम जारी

इस आयोजन के दौरान एक पैनल डिस्कशन में शामिल दिल्ली के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने सड़क सुरक्षा में ड्राइवरों की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से कई चालक प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर काम कर रही है और इसी सिलसिले में कुछ निजी कंपनियों को जगह भी आवंटित की गई है। उन्होंने माना कि डीटीसी बसों के चालकों को सड़क सुरक्षा के लिहाज से और अधिक प्रशिक्षित करने की जरूरत है।

सीबीआइ-एफबीआइ ने साइबर अपराध से निपटने को अधिक सहयोग पर की चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआइ) के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने सोमवार को यहां सीबीआइ के निदेशक प्रवीण सूद से मुलाकात की। इस दौरान साइबर जगत से संबंधित वित्तीय अपराधों से निपटने में अधिक सहयोग, अपराधियों तथा भगोड़ों को न्याय के कठघरे में लाने में साक्ष्य साझा करने पर बातचीत हुई।

अधिकारियों ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे क्रिस्टोफर और अन्य अमेरिकी अधिकारी सीबीआइ मुख्यालय पहुंचे और करीब एक घंटे तक हुई बैठक में दोनों पक्षों ने संगठित अपराध नेटवर्क, साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों, हैकरों द्वारा वसूली, आर्थिक अपराधों और अंतरराष्ट्रीय अपराध द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर गहन चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच आपराधिक मामलों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को और मजबूत करने पर बातचीत हुई।

सीबीआइ प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों जांच एजेंसियों की प्रशिक्षण अकादमियां एक-दूसरे के साथ सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करेंगी। रे दो दिवसीय यात्रा पर रविवार शाम दिल्ली पहुंचे और उनका भारतीय कानून-व्यवस्था से जुड़े शीर्ष अधिकारियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। खास बात ये है कि एफबीआइ उच्चाधिकारी की यह यात्रा अमेरिकी धरती पर भारत के वांछित खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में कथित तौर पर भारत के शामिल होने के अमेरिकी आरोपों के बीच हो रही है। भारत ने आरोपों की जांच के लिए जांच टीम गठित कर दी है।

नई दिल्ली में सोमवार को बैठक के अवसर पर एफबीआइ के निदेशक क्रिस्टोफर रे के साथ सीबीआइ प्रमुख प्रवीण सूद। प्रेट्र

पन्नू मामले में मजबूती से पक्ष रखे विदेश मंत्रालय : रवनीत

कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह ने कहा है कि विदेश मंत्रालय को वांछित आतंकी पन्नू के खिलाफ अमेरिका के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अमेरिकी अधिकारियों को 26 बार पत्र लिखने के बावजूद अमेरिका द्वारा पन्नू के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह नहीं समझ पा रहे कि आखिर पन्नू के खिलाफ अमेरिका को और क्या सटीक सुबूत चाहिए? कनाडा पुलिस ने भी पन्नू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

सरकार ने एनएमसी के प्रतीक चिह्न में बदलाव का किया बचाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के प्रतीक चिह्न में बदलाव कर हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले धनवंतरी को हिस्सा बनाए जाने के निर्णय का बचाव करते हुए कहा है कि यह भारत की विरासत का हिस्सा है, सभी को इस पर गर्व करना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने जब राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान प्रतीक चिह्न में बदलाव का मुद्दा उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि धनवंतरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान के प्रतीक हैं। यह पहले से ही (आयोग के) प्रतीक चिह्न का हिस्सा था। इसमें सिर्फ कुछ रंग जोड़ा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।

उन्होंने कहा कि यह भारत की विरासत है। मुझे लगता है कि हमें इस पर गर्व करना चाहिए। देश की विरासत से प्रेरणा लेकर प्रतीक चिह्न तैयार किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 के पारित होने के बाद 1934 में भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) के प्रतीक चिह्न को अपनाया गया था।

कहा, यह भारत की विरासत का हिस्सा, सभी को इस पर करना चाहिए गर्व

कानून ने चिकित्सा को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया। इसमें सर्जरी और प्रसूति विज्ञान शामिल हैं। इसका प्रतीक चिह्न चिकित्सा के अंतरराष्ट्रीय प्रतीक-चिकित्सा और उपचार के यूनानी देवता एस्क्लेपियस के कर्मचारी पर आधारित था। हालांकि, आयोग के लोगो में बदलाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन केंद्र में धनवंतरी के चित्रण वाला एक श्वेत-श्याम लोगो दिसंबर 2022 में दिखाई दिया। रंगीन संस्करण कुछ महीने बाद दिखा। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए सेन ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पिछले प्रतीक चिह्न को बहाल करने की मांग की।

कौशिक न्यूज़

अब विकास और खुशियों संग कदमताल

सुमित शर्मा • जम्मू

- औद्योगिक विकास और आधारभूत ढांचे से जीवन की राह हुई आसान
- पटरी पर आई शिक्षा और लाल चौक पर शान से फहरा रहे तिरंगे

पहले संसद और अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर। 31 अक्टूबर, 2019 को अनुच्छेद-370 और 35ए की बेड़ियों से मुक्ति पाकर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित हुए नये जम्मू-कश्मीर की राह में अब कोई बाधा नहीं रही। जम्मू-कश्मीर अब विकास और खुशियों संग कदमताल करेगा। पिछले चार वर्षों में ही पर्यटन उद्योग हो या औद्योगिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि या सड़क संपर्क, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। सरकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंच रहा है। सभी सरकारी सेवाएं आनलाइन हो चुकी हैं। कभी पत्थरबाजी और अलगाववाद का गढ़ रहे क्षेत्रों में शान से तिरंगे लहरा रहे हैं। समाज के कई पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार मिले और गुलाम जम्मू-कश्मीर से आए नागरिकों को वोट का हक मिला। इससे पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर बदल नहीं रहा... बल्कि बदल चुका है।

अगले वर्ष ट्रेन कश्मीर पहुंचाने का लक्ष्य

देश की महत्वाकांक्षी ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना पूरी होने को है। इस परियोजना में सबसे अहम रियासी जिला में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस समय ट्रेन कश्मीर के बारामुला से जम्मू संभाग के बनिहाल तक चलती है। वहीं, जम्मू से ऊधमपुर होते हुए कटड़ा तक जाती है। कटड़ा से बनिहाल के हिस्से में काम जारी है। अगले वर्ष कश्मीर को देश से रेल सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल हुआ जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में 1100 सेवाएं डिजिटल मोड पर उपलब्ध हैं। पेयजल-बिजली कनेक्शन से लेकर जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए अब सरकारी कार्यालय में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जनसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाएं ई-मोड पर उपलब्ध हैं। ई-आफिस प्रणाली लागू होने से दरबार मूव (सचिवालय जम्मू व श्रीनगर शिफ्ट) के नाम पर खजाने पर पड़ने वाले करोड़ों रुपये के बोझ से मुक्ति मिल चुकी है।

सड़कों, पुलों व सुरंगों के निर्माण से बदली तस्वीर

जम्मू-कश्मीर के दूरदराज क्षेत्रों तक सड़क संपर्क बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम हो रहा है। प्रदेश प्रशासन ने केंद्र सरकार के सहयोग से सड़कों, पुलों व सुरंगों का निर्माण कर जम्मू-कश्मीर की तस्वीर बदल दी है।

- माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल पहुंचने वाले करीब एक करोड़ श्रद्धालुओं को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे को मंजूरी दी है। इसका निर्माण जारी है। इससे दिल्ली से कटड़ा का सफर पांच घंटे का होने जा रहा है।
- जम्मू-कश्मीर में 130 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 11,125 करोड़ रुपये मंजूर हुए है। जम्मू शहर में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 58 किलोमीटर सेमी रिंग रोड को मंजूरी मिली, जिसमें से 82 प्रतिशत काम जून 2023 तक पूरा कर लिया गया।

पर्यटन उद्योग को लगे पंख

बीते साल पहली जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जम्मू-कश्मीर में एक करोड़ 88 लाख, 84 हजार, 317 रिकार्ड पर्यटक आए। अप्रैल में श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोजाना 102 विमानों ने आवाजाही की और प्रतिदिन 15,199 यात्री श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और टर्मिनल बनाने की योजना है।

अब एक समान अकादमिक कैलेंडर

शिक्षा व उच्च शिक्षा में व्यापक बदलाव आया है। सबसे ऐतिहासिक कदम, जम्मू व कश्मीर में एक समान अकादमिक कैलेंडर को लागू करना रहा है। विंटर जोन को समाप्त कर दिया गया है। खराब हालात के चलते पहले कश्मीर में स्कूल बंद रहते थे पर अब ऐसा नहीं है। जम्मू में रिकार्ड समय में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन को स्थापित किया गया।

औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ा

चार वर्षों में प्रदेश में 73,376 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इससे 3 .5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2153 करोड़ का निवेश हुआ। इसमें 500 करोड़ की एफडीआइ है, जिसके तहत श्रीनगर में एक शापिंग माल और श्रीनगर व जम्मू में एक-एक आइटी टावर का निर्माण होना है।

यह आया बदलाव

- 1767 औद्योगिक इकाइयों को जमीन अलाट की गई। एक लाख 9 हजार 570 को रोजगार मिलेगा।
- चार वर्षों में 5,951 करोड़ के निवेश के साथ 127 औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया।
- उद्योग को बढ़ावा देने केंद्र सरकार ने 24,800 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज दिया।

कौशिक अकादमी

अनुच्छेद-370 पर दिए अपने फैसले में जम्मू-कश्मीर में हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए जस्टिस कौल ने कहा-

सत्य एवं सुलह आयोग बनाने की जरूरत

अरविंद शर्मा ● नई दिल्ली

- श्रीनगर के मूल निवासी जस्टिस कौल हैं कश्मीरी ब्राह्मण
- कहा- जम्मू-कश्मीर के लोगों ने जो झेला है, उससे मैं दुखी हूं
- बोले-आगे बढ़ने के लिए जख्मों को ठीक करने की जरूरत
- आयोग के सहारे काफी हद तक उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है

जस्टिस संजय किशन कौल ● फाइल फोटो

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 पर दिए अपने फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल ने कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिक्र किया। उन्होंने 1980 से राज्य में हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक सत्य और सुलह आयोग बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि सच से ही सुलह का रास्ता निकलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह आयोग आपराधिक अदालत (कोर्ट आफ कमीशन) के रूप में काम नहीं करेगा। श्रीनगर के मूल निवासी जस्टिस कौल स्वयं भी कश्मीरी ब्राह्मण हैं। वह इसी महीने 25 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

अनुच्छेद-370 पर लिखे गए अपने अलग फैसले में जस्टिस कौल ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर अत्यंत भावुक टिप्पणी की है, जिसमें उनका दर्द साफ झलकता है। उन्होंने लिखा है कि आतंक के चलते राज्य के पुरुषों-महिलाओं एवं बच्चों ने बहुत कुछ झेला है। इसे भुलाकर आगे बढ़ने के लिए जख्मों को ठीक करने की जरूरत है। राज्य एवं राज्य से बाहरी तत्वों द्वारा यहां के लोगों के विरुद्ध किए गए मानवाधिकारों के हनन की सामूहिक समझ विकसित करना ही मरहम लगाने की दिशा में पहला और निष्पक्ष प्रयास होगा।

आयोग के गठन में शीघ्रता करने पर जोर देते हुए जस्टिस कौल ने कहा कि स्मृतियों के धुंधली होने से पहले ही आयोग का गठन एक समयसीमा के अंदर कर लेना चाहिए क्योंकि युवाओं की एक पूरी पीढ़ी पहले से ही अविश्वास की भावना के साथ बड़ी हुई है। आयोग के सहारे काफी हद तक उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। उन्होंने सरकार को आयोग की स्थापना का सबसे अच्छा तरीका तैयार करने का सुझाव दिया और कहा कि सामाजिक संदर्भों के साथ-साथ हमें राज्य की ऐतिहासिक पहचान को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। जस्टिस कौल ने दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए गठित एक ऐसे ही आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर घाटी के विभिन्न वर्गों ने भी पहले ऐसा ही आयोग बनाने की मांग की थी।

अपनी टिप्पणी में जस्टिस कौल ने देश बंटवारे के तुरंत बाद घाटी में विदेशी आक्रमण का जिक्र करते हुए कहा कि तब जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। 1980-90 के दौरान आतंक के चलते राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा पलायन करने पर मजबूर हो गया। फिर भी समस्या का समुचित निवारण नहीं किया गया, जिसके चलते हालात इतने बिगड़ गए कि सेना बुलानी पड़ गई। जस्टिस कौल ने कहा कि सेनाएं देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए होती हैं। देश के भीतर कानून-व्यवस्था बनाने के लिए नहीं। कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने जो झेला है, उससे मैं दुखी हूं।

जस्टिस कौल ने आगाह किया कि सत्य और सुलह आयोग के गठन के बाद उसे आपराधिक अदालत (कोर्ट आफ कमीशन) में बदलने से बचना चाहिए। आयोग को मानवीय भावना के साथ दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। सभी पक्षों का दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। पीड़ितों को अपनी व्यथा सुनाने का मौका मिलेगा और सुलह का रास्ता निकलेगा।

तुषार मेहता ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक भूल सुधारी

सालिसिटर जनरल मेहता ने पीएम मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की शानदार रणनीति को दिया श्रेय

नई दिल्ली, प्रेट्र: संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बचाव में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को कहा कि सरकार के पांच अगस्त, 2019 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखकर भीमकाय संवैधानिक भूल को बड़े अनुपात में दुरुस्त किया है। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति को श्रेय दिया है।

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को कहा कि पांच अगस्त, 2019 और सोमवार का यह दिन भारत के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इसी समय में सरकार ने अतीत की एक संवैधानिक भूल को ठीक किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की शानदार रणनीति का कमाल है। इसने इस ऐतिहासिक निर्णय को संभव बनाया। राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। मेहता ने कहा कि उन्हें पूरी प्रक्रिया देखने और उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने तीन सप्ताह से अधिक समय तक धैर्यपूर्वक सभी पक्षों को सुना। देश की सर्वोच्च अदालत संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ी रही और जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों के वैध अधिकार सुरक्षित कराए।

जस्टिस खन्ना ने कहा-अनुच्छेद 370 रद करना संघीय ढांचे को नकारना नहीं

जस्टिस संजीव खन्ना ● फाइल फोटो

- कहा, एक संक्रमणकालीन प्रविधान था अनुच्छेद-370
- जस्टिस चंद्रचूड़ व जस्टिस कौल के फैसलों से जताई सहमति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पांच सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने को सही ठहराते हुए कहा कि अनुच्छेद-370 एक संक्रमणकालीन प्रविधान था और ये स्थायी प्रकृति का नहीं था। अनुच्छेद-370 को निरस्त करना संघीय ढांचे को नकारना नहीं है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में रहने वाले नागरिक वही दर्जे और अधिकार का आनंद उठा सकते हैं जो देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को प्राप्त हैं।

अपने तीन पेज के संक्षिप्त फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल के फैसले से सहमति जताई। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला विद्वतापूर्ण और जटिल कानूनी प्रविधानों की व्याख्या करता है। जबकि जस्टिस कौल का फैसला व्यावहारिक रूप से तथ्यात्मक और कानूनी रहस्यों को उजागर करता है। दोनों फैसलों में इस पर समान रूप से सहमति जताई गई है कि अनुच्छेद-370 असमान संघवाद की प्रकृति का है, न कि संप्रभुता की प्रकृति का।

जस्टिस खन्ना ने भी अपने फैसले में माना कि सीओ-272 के पैराग्राफ (2), जिसमें अनुच्छेद-370 को अनुच्छेद-367 के जरिये संशोधित किया गया है, वह असंवैधानिक और कानून की निगाह में गलत है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अनुच्छेद-370 को अनुच्छेद-370(3) के जरिये निष्क्रिय कर दिया गया है। उन्होंने भी सीओ-273 को वैध माना है। जस्टिस खन्ना ने अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले में की गई व्याख्या और निष्कर्ष से सहमति जताई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एसआर बोम्मई में दी गई व्यवस्था के आधार पर अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या फैसले में की है।

राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने पर अपना नजरिया देते हुए जस्टिस खन्ना ने फैसले में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश सामान्यतौर पर भौगोलिक रूप से छोटा क्षेत्र होता है या फिर उसे विषम कारणों के चलते बनाया जाता है। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने से राज्य सरकार चुनने का नागरिकों का अधिकार खत्म होता है और इससे संघवाद को भी धक्का पहुंचता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-तीन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। कहा कि जस्टिस कौल के फैसले में अनुच्छेद-370(3) के प्रभाव को बताया गया है और यह भी बताया गया है कि राज्य की संविधानसभा भंग होने के बाद भी ये क्यों जारी रहा। वह इस मुद्दे पर जस्टिस कौल के फैसले में दिए गए कारणों से सहमत हैं।

सुप्रीम फैसला आशा की बड़ी किरण : पीएम

- जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लोगों को सपने पूरा करने का दिया भरोसा
- अनुच्छेद 370 खत्म होने से शांति और समृद्धि का रास्ता खुला: शाह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● फाइल फोटो

गृह मंत्री अमित शाह ● फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के संसद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराने को आशा की एक बड़ी किरण बताया है। उनके अनुसार, इस फैसले में उज्ज्वल भविष्य के वादे के साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प भी है। वहीं नया जम्मू-कश्मीर हैशटैग के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कभी हिंसा का शिकार रही घाटी अब शांति और समृद्धि के नए मार्ग पर बढ़ रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसने संसद के फैसले पर संवैधानिक मुहर लगा दी है। यह फैसला हर भारतीय के राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत करता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भरोसा दिया कि सरकार उनके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इस विकास से वंचित नहीं रहेगा।

मोदी ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि प्रगति का फल न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए वाले वर्गों तक भी उनका लाभ पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है। यह उज्ज्वल भविष्य का वादा है और मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति आई है और हालात सामान्य हुए हैं। इसके बाद हुए विकास ने हिंसा से प्रभावित आम लोगों के जीवन को नया आयाम दिया है। उनके अनुसार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र में विकास से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लोगों की आमदनी बढ़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय पूरी तरह से संवैधानिक था। उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद के निरस्त होने के बाद घाटी में गरीबों के अधिकार फिर से स्थापित हुए हैं। घाटी की फिजाओं में सांस्कृतिक पर्यटन और संगीत की गूंज सुनाई दे रही है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार शांति और चहुंमुखी विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। चाहे वह नए प्रोत्साहनों के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना हो या कल्याणकारी लाभों के साथ गरीबों को सशक्त बनाना हो, हम इस क्षेत्र के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना जारी रखेंगे।

एकीकरण को बल देने वाला फैसला

नरेन्द्र मोदी

अनुच्छेद-370 और 35-ए जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। इनके कारण एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गईं

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-370 और 35-ए को निरस्त करने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा, जिसे प्रत्येक भारतीय द्वारा सदैव संजोया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना पूरी तरह उचित है कि 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि विघटन के उद्देश्य से। उसने यह भी माना कि अनुच्छेद-370 का स्वरूप स्थायी नहीं था। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरत और शांत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, पीढ़ियों से हर भारतीय को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं, लेकिन कई दशकों से जम्मू-कश्मीर के अनेक स्थानों पर ऐसी हिंसा और अस्थिरता देखी गई, जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती।

आजादी के समय तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व के पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था, लेकिन इसके बजाय भ्रमित दृष्टिकोण जारी रखने का निर्णय लिया गया। इससे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी हुई। मेरी सदैव यह अवधारणा रही कि जम्मू-कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल में बने रह सकते थे, फिर भी उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल छोड़ दिया और आगे की कठिन राह चुनी। इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, पर उनके बलिदान से करोड़ों भारतीय कश्मीर मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़े। इसी तरह अटलजी ने 'इंसानियत', 'जम्हूरियत' और 'कश्मीरियत' का जो प्रभावी संदेश दिया, वह सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा।

जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हुआ, वह राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात था। अनुच्छेद-370 और 35-ए जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। इन अनुच्छेदों के कारण एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गईं। मैं इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट था कि जम्मू-कश्मीर के लोग अपने बच्चों के लिए एक ऐसा जीवन चाहते हैं, जो हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त हो। जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा करते समय हमने तीन बातों को प्रमुखता दी-नागरिकों की चिंताओं को समझना, सरकार के कार्यों के माध्यम से आपसी-विश्वास का निर्माण करना तथा निरंतर विकास को प्राथमिकता देना।

2014 में कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ आई, जिससे घाटी में बहुत नुकसान हुआ। सितंबर 2014 में मैं स्थिति का आकलन करने के लिए श्रीनगर गया और विशेष सहायता के रूप में 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की। इससे यह संदेश गया कि

अवधेश राजपूत

हमारी सरकार वहां के लोगों की मदद के लिए संवेदनशील है। मुझे जम्मू-कश्मीर के लोगों से मिलने का अवसर मिला। इस दौरान एक बात समान रूप से उभरी कि लोग न केवल विकास, बल्कि दशकों से व्याप्त भ्रष्टाचार से भी मुक्ति चाहते हैं। उस साल मैंने जम्मू-कश्मीर में जान गंवाने वाले लोगों की याद में दीपावली नहीं मनाने और दीपावली के दिन वहां रहने का फैसला किया। जम्मू-कश्मीर की विकास यात्रा को और मजबूती प्रदान करने के लिए मई 2014 से मार्च 2019 के दौरान वहां केंद्रीय मंत्रियों के 150 से अधिक दौरे हुए। यह एक कीर्तिमान है। 2015 का विशेष पैकेज जम्मू-कश्मीर की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

खेलशक्ति में युवाओं के सपनों को साकार करने की क्षमता को पहचानते हुए जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न खेल स्थलों का आधुनिकीकरण किया गया और प्रशिक्षक उपलब्ध कराए गए। स्थानीय स्तर पर फुटबाल क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहित करना एक अनूठी पहल रही। इसके परिणाम शानदार निकले। मुझे प्रतिभाशाली फुटबाल खिलाड़ी अफशां आशिक का नाम याद आ रहा है। वह दिसंबर 2014 में श्रीनगर में पथराव करने वाले एक समूह का हिस्सा थी, लेकिन सही प्रोत्साहन मिलने पर उसने फुटबाल की ओर रुख किया। प्रशिक्षण के बाद उसने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 'फिट इंडिया डायलाग्स' कार्यक्रम के दौरान उससे हुई बातचीत में मैंने कहा था कि अब 'बेंड इट लाइक बेकहम' से आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि अब यह 'एज इट लाइक अफशां' है। अब अन्य युवाओं ने किक बाक्सिंग, कराटे और अन्य खेलों में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी है।

एक समय हमारे सामने या तो सत्ता में बने रहने या अपने सिद्धांतों पर अटल रहने का विकल्प था। हमने अपने आदर्शों को प्राथमिकता दी। पंचायत चुनावों की सफलता ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक प्रकृति को इंगित किया। गांवों के प्रधानों के साथ हुई बातचीत में अन्य मुद्दों के अलावा मैंने उनसे एक अनुरोध किया कि किसी भी स्थिति में स्कूलों को नहीं जलाया जाना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि इसका पालन किया गया। जब स्कूल जलाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है। 5 अगस्त, 2019 का ऐतिहासिक दिन हर भारतीय के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। तब से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में बहुत कुछ बदलाव आया है। पिछले चार वर्षों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाने के रूप में देखा जाना चाहिए। महिलाओं, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के वंचित वर्गों को उनका हक नहीं मिल रहा था। वहीं, लद्दाख की आकांक्षाओं को भी नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 ने सब कुछ बदल दिया। सभी केंद्रीय कानून अब बिना किसी पक्षपात के लागू होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो गई है, बीडीसी चुनाव हुए हैं और शरणार्थी समुदाय, जिन्हें लगभग भुला दिया गया था, उन्हें भी विकास का लाभ मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। इससे वित्तीय समावेशन में प्रगति हुई है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। सभी गांवों ने खुले में शौच से मुक्त-ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। सरकारी रिक्तियां, जो कभी भ्रष्टाचार और पक्षपात का शिकार होती थीं, पारदर्शी और सही प्रक्रिया के तहत भरी गई हैं। बुनियादी ढांचे और पर्यटन में बढ़ावा सभी देख सकते हैं। अब रिकार्ड वृद्धि, रिकार्ड विकास, पर्यटकों के रिकार्ड आगमन के बारे में सुनकर लोगों को सुखद आश्चर्य होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत किया है। आज जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपने अतीत के मोहताज नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं।

response@jagran.com

उच्च अदालतों के जजों के लिए संपत्ति की घोषणा हो अनिवार्य

सुझाव

भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने मौजूदा कानून में संशोधन करने या नया कानून बनाने का दिया सुझाव, कहा, सरकारी खजाने से वेतन ले रहे व्यक्ति को देना चाहिए अपनी संपत्तियों का ब्योरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए सालाना संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। जैसा कि मंत्रियों और नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। उन्होंने इसे लागू करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने या एक नया कानून बनाने का सुझाव दिया। सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए भाजपा के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों, आइएएस और आइपीएस अधिकारियों जैसे नौकरशाहों को सालाना अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जनता को विधानसभाओं और संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संपत्ति के बारे में जानने का अधिकार है। इसलिए, उम्मीदवार इसकी घोषणा

सुशील कुमार मोदी

करते हुए एक हलफनामा भी दायर करते हैं। निर्वाचित होने के बाद जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पद पर आसीन और सरकारी खजाने से वेतन ले रहे किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपनी संपत्तियों का वार्षिक ब्योरा घोषित करना चाहिए, भले ही वह किसी भी पद पर हो।

उन्होंने कहा कि मई 1997 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने फैसला किया था कि सभी न्यायाधीश अनिवार्य रूप से अपनी संपत्तियों की घोषणा करेंगे। लेकिन बाद में एक पूर्ण पीठ ने इसे स्वैच्छिक बना दिया।

सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देखी और पाया कि संपत्ति घोषणा अनुभाग को 2018 से अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक कर दी गई है। केवल पांच हाई कोर्ट ने ऐसी जानकारी प्रदान की है और वह भी केवल कुछ न्यायाधीशों के बारे में। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के अबीर रंजन बिस्वास ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामलों से निपटने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.45 लाख से अधिक मामले हुए।

सभी हाई कोर्ट में जल्द शुरू की जाए मोबाइल वीडियो कान्फ्रेंस की सुविधा : संसदीय समिति

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में वादियों की मदद के लिए मोबाइल वीडियो कान्फ्रेंस की सुविधा 25 हाई कोर्ट में से केवल दो में लागू होने के मद्देनजर एक संसदीय समिति ने सोमवार को सिफारिश की कि इसे शेष हाई कोर्ट में भी लागू किया जाए। अपनी पिछली रिपोर्ट में कानून और कार्मिक पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा था कि उसकी राय है कि न्यायपालिका को अधिवक्ताओं और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए मोबाइल वीडियो कान्फ्रेंस सुविधाएं शुरू करने जैसे अभिनव उपायों पर भी विचार करना चाहिए।

केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने अपने जवाब में कहा कि मोबाइल वीडियो कान्फ्रेंस की अवधारणा को सभी हाई कोर्ट के समक्ष उठाया गया है। विभाग ने बताया कि यह भी अनुरोध किया गया था कि तेलंगाना हाई कोर्ट की मोबाइल वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा को एक माडल के रूप में देखा जा सकता है। विभाग द्वारा समिति के साथ साझा किए गए विवरण के अनुसार, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयों ने सिफारिश को लागू कर दिया है। विभाग ने कहा कि कलकत्ता, गुवाहाटी, मणिपुर, राजस्थान और सिक्किम हाई कोर्ट में काम प्रगति पर है।

युद्ध में फंसीं महिलाओं और बच्चों का दर्द

सोनम लववंशी

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी महिलाओं से आठ-आठ बच्चे पैदा करने की अपील की है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब किसी देश के नेता ने अपने देश की महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने की बात कही हो। भारत में तो आए दिन राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के चलते अधिक बच्चे पैदा करने की बात करते आए हैं। एक तरफ वैश्विक स्तर पर बढ़ती जनसंख्या कई मुसीबतों को जन्म दे रही है। मानव उपभोक्ता ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र ने पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण तंत्र को तेजी से बदला दिया है। जलवायु संकट एक गंभीर समस्या बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक राष्ट्र के जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा ऐसा बयान देना कई सवाल उत्पन्न करता है।

आधी आबादी की बात करें तो इतिहास में ऐसे बहुत कम ही अवसर आए हैं, जब महिलाओं ने युद्ध लड़ा हो। महिलाएं हमेशा रणभूमि से दूर रही हैं, लेकिन युद्ध के परिणामों का दर्द महिलाओं और मासूम बच्चों के हिस्से में सबसे ज्यादा आया है। अक्सर देखा गया है कि पुरुष तो युद्ध के मैदान में चले जाते हैं, लेकिन बच्चे की पूरी जिम्मेदारी एक मां के कंधों पर आ जाती है। युद्ध चाहे कहीं भी क्यों न हो वह बच्चों को उसी तरह प्रभावित करता है जिस तरह वयस्कों को प्रभावित करता है। एक बच्चे के लिए युद्ध के समय में माता-पिता को खोना सबसे दर्द भरा मंजर होता है। कई बार बच्चे अनाथ की तरह जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। युद्ध से प्रभावित बच्चों को उनके अधिकार तक नहीं मिल पाते हैं। शरणार्थियों की तरह जीवन जीना उनकी नियति बन जाती है। बावजूद इसके समय-समय पर युद्ध होते रहे हैं।

> **महिलाएं और बच्चे हमेशा रणभूमि से दूर रहे हैं, लेकिन युद्ध के परिणामों का दर्द उनके हिस्से में सबसे ज्यादा आया है**

बात अगर सीरिया युद्ध की करें तो सीरिया में लाखों बच्चे युद्ध, हिंसा, मृत्यु और विस्थापन में घिरे हुए अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। सीरिया का युद्ध दुनिया में सबसे जटिल युद्ध का परिणाम है। इसका बच्चों पर गंभीर असर हुआ, बच्चे अपने बचपन को तरस गए हैं। बम गोलों की आवाज में मासूम किलकारियां सहम गई हैं। कहने को तो जीवन का पुनर्निर्माण अनवरत जारी रहता है, लेकिन युद्ध के परिणाम हमेशा ही दुखद होते हैं। शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में बच्चे काम पर जाने को मजबूर कर दिए जाते हैं। लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। उत्तर पश्चिमी सीरिया में सशस्त्र संघर्ष के कारण हजारों बच्चों और परिवारों पर भारी असर पड़ा है। वहां एक दिसंबर, 2019 से अब तक 5,75,000 से अधिक बच्चों सहित 9,60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति को युद्ध विराम पर जोर देना चाहिए, ताकि मासूम बच्चों को अनाथ होने से बचाया जा सके।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

उच्च शिक्षा

गुणवत्ता के प्रति नहीं हो कोई समझौता

डा. सुनील कुमार मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर, विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली

आम तौर पर देखा गया है कि अनेक सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में निजी संस्थानों की तुलना में शिक्षक अपेक्षाकृत कम कक्षाएं लेते हैं। विगत दिनों बिहार में उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को प्रतिदिन कम से कम पांच कक्षाएं लेना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इससे संबंधित सभी तथ्यों का समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए

शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास के साथ ही उसके व्यवहार एवं आचरण का भी निर्धारण करती है। फाइल

हाल ही में बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के लिए रोजाना न्यूनतम पांच कक्षाएं लेने को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि संस्थान की ओर से यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से प्रति कार्यदिवस न्यूनतम पांच कक्षा लेंगे। एक तरफ सरकार शिक्षा सुधार की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं यह आदेश शिक्षकों की मनोदशा पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प की दिशा में सकारात्मक संकेत से सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश पर असर स्वाभाविक है, परंतु आदेशित शैक्षिक कार्यभार से शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होने का भी जोखिम कायम है।

वस्तुतः स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही सरकार ने शिक्षा सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था जिसमें शिक्षण कार्य को अन्य पेशे से अलग देखना महत्वपूर्ण था। उच्चतर शिक्षा में दाखिले भी निरंतर बढ़ रहे हैं, जो कि एक सुखद संकेत है, परंतु आज भी छात्र शिक्षक अनुपात में हम पीछे नजर आते हैं जिससे उपलब्ध शिक्षक पर अतिरिक्त भार पड़ना स्वाभाविक है। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता भी दुष्प्रभावित होती है। वैसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा मंत्रालय के लिए पूर्व में आवंटित बजट में वृद्धि कर एक सकारात्मक संकेत दिया है। फिर भी शिक्षा पर खर्च के मामले में अभी भी भारत विश्व में काफी पीछे है जो सर्वाधिक मानव संसाधन रखने वाले देश में ज्ञान एवं कौशल आधारित शिक्षा के दायरे को सीमित करता है।

आज एक तरफ तो हम शैक्षणिक सुधारों की बात कर रहे हैं तो वहीं शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्यरत शिक्षकों पर अध्यापन के साथ-साथ अनेक कार्यों का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य शैक्षणिक उत्तरदायित्व का अनिवार्य हिस्सा होता है, जबकि मेंटर, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से संबंधित कोई कार्य हो, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सहभागिता हो या फिर अन्य विभागीय उत्तरदायित्व, वर्तमान शैक्षिक परिवेश अध्यापक से निर्धारित कार्यभार से अधिक समय की मांग करता है। इस संबंध में यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियम को देखें तो शिक्षक को प्रतिवर्ष 30 कार्य सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 40 घंटे का कार्यभार सुनिश्चित किया गया है। हालांकि इस कार्यभार में अध्यापन कार्य की अलग रूपरेखा स्पष्ट होती है। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 16 कक्षाएं निर्धारित हैं तो वहीं सह-आचार्य प्रति सप्ताह 14 कक्षाएं लेते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्य एवं शैक्षणिक कार्य में सहभागिता भी वर्तमान शैक्षणिक प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है।

एक तरफ सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है एवं अध्यापकों को नवाचार एवं शोध कार्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों के बढ़ते बोझ से शिक्षक स्वयं के लिए अध्ययन एवं शोध कार्य के लिए आवश्यक समय में कटौती करने के लिए बाध्य होता है, जिससे अंततः शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

उच्च शिक्षा मात्र विषय-केंद्रित जानकारी देना नहीं है, अपितु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नूतन ज्ञान, नवाचार, अनुसंधान की आधारशिला है। उच्च शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों को अध्यापन से पहले विषय को चिंतन, मंथन एवं अध्ययन की त्रिआयामी प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर वह विषय के साथ न्याय कर पाता है। आज के तकनीकी युग में अधिसंख्य छात्र विषय केंद्रित तथ्यों से परिचित होता है, ऐसे में शिक्षक का कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। शिक्षक तथ्य प्रस्तुत करने वाला कोई उपकरण नहीं है, वह विषय के समग्र पक्षों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत कर विद्यार्थी के अंतःकरण को दिशा देने वाला माध्यम है। ऐसे में आदर्श समाज निर्माण में शिक्षकों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। गांधी जी भी शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के साथ ही उसके दृष्टिकोण में भी बदलाव करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तर्कसंगत क्रियान्वयन में भी शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य को बोझ के रूप में न ले, अपितु वह कर्तव्यबोध के साथ अपने उत्तरदायित्व का पालन कर सके। शिक्षण कार्य कोई पेशा नहीं है, यह निर्धारित कार्यअवधि एवं शारीरिक श्रम से मुक्त एक मानसिक कार्य है जो एक सतत प्रक्रिया से जुड़ा कार्य है। ऐसे में शिक्षकों के लिए लगभग पांच घंटे अध्यापन की अनिवार्यता संबंधी आदेश भले ही मात्रात्मक शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, परंतु यह शैक्षणिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर भी डालेगा। आज देश में एक दूरदर्शी शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता है जिससे शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध मानव पूंजी को ज्ञान, कौशल, तकनीकी एवं मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर सके। निश्चित तौर पर इस कार्य में हमारे शिक्षकों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है। अतः आवश्यक है कि सरकार शिक्षकों को मात्र कार्य संपादित करने वाला साधन न समझकर उन्हें समाज निर्माण करने वाला प्रभावी एवं अनिवार्य माध्यम समझे।

शिक्षकों को मिले गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति

रोहित प्रियदर्शी
शैक्षिक मामलों के जानकार

किसी भी समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों का मूल कार्य अध्यापन है। लेकिन शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य लेना देश में परंपरागत समस्या है। वर्तमान में शिक्षकों के जिम्मे इतने गैर शैक्षणिक कार्य हैं कि पढ़ाने के लिए समय कम मिल पाता है। वस्तुतः गैर शैक्षणिक कार्यों से अध्ययन बाधित होता है। हमारे शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी सच्चाई यह है कि बहुतेरे ऐसे मौके आते हैं जब स्कूली शिक्षकों को शिक्षकेतर कार्यों को पूरा करने की ड्यूटी दे दी जाती है। शिक्षकों को जब ऐसे कार्यों में उलझाया जाता है तो इसका शिक्षण पर नकारात्मक असर पड़ता है। यह बेवजह नहीं है कि स्कूली शिक्षा पर होने वाले अध्ययनों में पिछले कई वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है कि बच्चों के सीखने का स्तर बेहद चिंताजनक है।

अधिकांश स्थानों पर शिक्षकों को अपने विभागों के काम जल्द निपटाने के लिए अन्य विभाग के अधिकारी शिक्षकों का अटैचमेंट करवा लेते हैं। इसका भी खमियाजा छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ता है। शिक्षक का नाम जेहन में आते ही ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है, जो विद्यार्थियों को स्कूल में अध्ययन करवाते हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक शिक्षण के बजाय गैर शैक्षणिक कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। अक्सर स्कूलों में शिक्षकों को प्रशासनिक काम भी सौंप दिए जाते हैं। नए छात्रों के प्रवेश के समय या नए सत्र की शुरुआत में अक्सर ऐसा होता है। जब देश में चुनाव या कोई महामारी जैसी घटना हो जाए तो शिक्षकों को भी ऐसे कार्यों में लगा दिया जाता है, जिसका न उन्हें अनुभव होता है और न उनमें रुचि। कभी-कभार शहर में या दूर कहीं विशेष प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ता है। यह सब काम के बोझ को बढ़ाता है। हालात ये हैं कि स्कूल आने के बाद शिक्षक का आधे से ज्यादा समय तो उन कार्यों में व्यतीत हो जाता है जिनका पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना-देना नहीं है। कई स्कूलों में तो बच्चों को ड्रेस बांटने, कापी-किताबें वितरित करने और छात्रवृत्ति का हिसाब-किताब रखने आदि काम भी करने पड़ते हैं। एक शिक्षक के कामकाजी घंटों का आधा समय तो पढ़ाई-लिखाई से बाहर की चीजों में ही जाया हो जाता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को विभिन्न जिलों के संबंधित जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश देने के लिए कहा था कि शिक्षकों को आरटीई अधिनियम (बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009) के तहत गैर-शैक्षणिक कार्य न सौंपा जाए। अधिनियम 2009 की धारा 27 गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाती है। नियम 21 (3) कहता है कि छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के उद्देश्य से किसी स्कूल में तैनात किसी भी शिक्षक को जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विधानसभाओं या संसद के चुनावों से संबंधित कर्तव्यों के अलावा किसी भी स्कूल में, अन्य स्कूल या कार्यालय या किसी गैर-शैक्षणिक उद्देश्य के लिए तैनात नहीं किया जा सकता है।

यह विडंबना ही है कि आज तक हम यही नहीं समझे हैं कि शिक्षा के गुणात्मक विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हम चाहते हैं कि शिक्षकों द्वारा सुचारु रूप से शैक्षणिक कार्य किया जाए, तो शिक्षकों का विद्यालयों में पूरी कार्यावधि में उपस्थित रहना भी जरूरी है। क्यों न हम अध्यापकों को केवल अध्यापन और शिक्षा कार्यों में काम करने दें। शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है। राज्य सरकारों को यह अनदेखी तत्काल प्रभाव से बंद करनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में आगे की चुनौतियां

विजय क्रांति

सुप्रीम कोर्ट के सराहनीय फैसले के बीच इसकी अनदेखी न हो कि कश्मीर घाटी में अलगाववाद के कारक अब भी हैं

जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने के मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस साहसिक कदम को चुनौती देने और कई बदलाव लाने के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। इस फैसले ने अलगाववादियों और संवैधानिक तौर पर राज्य के 'अलग दर्जे' का दावा करने वालों के तर्कों को यह कहकर सदैव के लिए खारिज कर दिया कि भारत में विलय के फैसले के साथ ही जम्मू-कश्मीर भारतीय संविधान के अधीन आ गया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति और संसद के अधिकारों को भी न्यायसंगत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को यथाशीघ्र बहाल करे। उसने चुनाव आयोग को अगले वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने को भी कहा। गत दिवस ही लोकसभा से पारित जम्मू-कश्मीर संबंधी दो विधेयक राज्यसभा में पेश हुए। इनमें से एक विधानसभा के पुनर्गठन और 114 सीटों वाली राज्य विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों के लिए दो और 1947 के पाकिस्तानी हमले के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर यानी पीओजेके से विस्थापितों के लिए एक सीट नामित करने का प्रविधान है। दूसरे विधेयक में राज्य की महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण समेत वही अधिकार देने की व्यवस्था है, जो शेष भारत में इनको मिले हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कश्मीर घाटी में अलगाववाद के लिए जिम्मेदार दो कारक आज भी मौजूद हैं। एक है वहां की विधानसभा में पीओजेके के नाम पर 24 सीटें खाली रखकर पूरे प्रशासन और विधायी शक्तियों पर कश्मीर घाटी का दबदबा बनाए रखना। दूसरा है देश-दुनिया में कश्मीर को लेकर भारत-विरोधी नैरेटिव पैदा करने वाले तंत्र की अनदेखी करना। यही तंत्र देश-दुनिया में कश्मीर घाटी को लेकर भारत विरोधी नैरेटिव मुहैया कराता है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ पीओजेके से विस्थापित समुदाय जम्मू-कश्मीर की विधानसभा पर कश्मीर घाटी के दबदबे को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनकी आपत्ति है कि 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने चहेते शेख अब्दुल्ला को राज्य का 'प्रधानमंत्री' बनाकर राज्य विधानसभा के परिसीमन की जो छूट दी, उसने भारत-विरोध और अलगाववाद का ऐसा बीज बो दिया, जो समय के साथ विषवृक्ष बन गया। उस परिसीमन में शेख ने 100 सीटों वाली विधानसभा का गठन किया, जिसमें 43 सीटें कश्मीर घाटी के लिए, 30 जम्मू के लिए और दो सीटें लद्दाख के लिए रखी गईं। बाकी सीटें इस आधार पर खाली छोड़ दी गई थीं कि जब पीओजेके भारत में वापस आएगा, तब वहां के प्रतिनिधियों से इन को भरा जाएगा। 1957 के 'जम्मू-कश्मीर जनप्रतिनिधित्व एक्ट' के रास्ते इसी व्यवस्था पर मुहर लगा दी गई और बाद में 1995 के पुनर्गठन में विधानसभा की 111 सीटों में से कश्मीर घाटी के लिए 46, जम्मू के लिए 37, लद्दाख के लिए चार सीटें और पीओजेके के नाम पर 24 सीटें छोड़कर तय कर दिया कि 87 सीटों वाली विधानसभा में कश्मीर घाटी का प्रभुत्व रहेगा।

श्रीनगर के लाल चौक पर तैनात सुरक्षा बल। प्रेट्र

विस्थापित संगठन इससे चिंतित हैं कि दोनों विस्थापित समाजों को कुल मिलाकर केवल तीन नामित सीटें देकर विधानसभा पर कश्मीर के वर्चस्व को अनंतकाल के लिए मान्यता दी जा रही है। न्यायसंगत यह होगा कि सदन में खाली रखी गई 24 सीटों में से 12 कश्मीरी विस्थापितों और बाकी 12 पीओजेके विस्थापितों से भरकर ऐसी विधानसभा का गठन किया जाए, जिसमें अन्याय के शिकार नागरिकों का प्रतिनिधित्व होने के साथ कश्मीर घाटी के एकपक्षीय दबदबे से मुक्ति मिले। यदि विधानसभा के मौजूदा स्वरूप में ही चुनाव कराए जाते हैं तो भारत विरोधी शक्तियां वहां की सत्ता संभालने के अगले दिन से ही ऐसा इकोसिस्टम पैदा कर सकती हैं, जिससे मोदी-शाह के प्रयासों से स्थापित शांति फिर भंग हो सकती है। ऐसा हुआ तो कश्मीर फिर से वहीं पहुंच जाएगा, जहां वह अगस्त 2019 से पहले था।

कश्मीर पर खड़े किए गए भारत विरोधी नैरेटिव को समझने के लिए ध्यान देना होगा कि वहां के सूचना-तंत्र में भारतीय पक्ष को रखने वालों की अनुपस्थिति सी है। कश्मीर में सरकारी मान्यता प्राप्त कुल 172 पत्रकारों में से तीन को छोड़ बाकी सभी कश्मीरी मुस्लिम हैं। इनको भारत-विरोधी ठहराना गलत होगा, पर पिछले 30 साल से कश्मीर घाटी को लेकर छपने वाली खबरें और उनके तेवर दिखाते हैं कि कोई स्थानीय पत्रकार भारत-विरोधी, अलगाववादी और आतंक समर्थक ताकतों को नाराज कर खुद को या अपने परिवार को जोखिम में नहीं डाल सकता। घाटी में ऐसे कथित पत्रकारों की संख्या भी कम नहीं, जो पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं। ऐसे में जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर कश्मीर घाटी के प्रभुत्व को खत्म किए बिना चुनाव कराने से घाटी का राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित होना कठिन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच संवैधानिक संबंधों के बारे में चली आ रही बहस को हमेशा के लिए खत्म करने का स्वागतयोग्य काम कर दिया। राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व को संतुलित किया जाए और अलगाववादी तेवर वाले सूचना तंत्र पर लगाम लगाई जाए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

भारत-बांग्लादेश सीमा से गो तस्करी में रिकार्ड गिरावट

राजीव कुमार झा, कोलकाता

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने दक्षिण बंगाल के जिलों से लगती भारत- बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गो तस्करी पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। बीएसएफ द्वारा साझा किए आंकड़ों के अनुसार, कभी गो तस्करी के लिए देशभर में कुख्यात रहे इस सीमा पर इस साल भी मवेशियों की तस्करी में रिकार्ड गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में गो तस्करी में निरंतर कमी आते- आते यह सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर एक तरह से शून्य हो गई है।

दक्षिण बंगाल का बार्डर इलाका दशकों से गो तस्करी के लिए कुख्यात: उन्होंने दावा किया कि गो तस्करी में निरंतर कमी आते-आते यह पूरी तरह बंद हो गई है। उन्होंने बताया कि इस साल इस सीमा से 641 तस्करों को भी पकड़ने में सफलता मिली, इसमें सभी प्रकार की वस्तुओं की तस्करी से जुड़े लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश से लगा विशेषकर दक्षिण बंगाल का बार्डर इलाका दशकों से गो तस्करी और घुसपैठ के लिए कुख्यात रहा है और यह राज्य में राजनीतिक रूप से भी एक ज्वलंत मुद्दा रहा है।

पांच जिलों का 913 किमी हिस्सा जुड़ा है बांग्लादेश से: बंगाल से बांग्लादेश की 2,216.7 किमी सीमा लगती है जिनमें से 913 किमी दक्षिण बंगाल सीमांत से जुड़ी हुई है। इसमें पांच सीमावर्ती जिलों उत्तर व दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद व मालदा की सीमाएं लगती है। यह बार्डर इलाका दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण सीमाओं में से एक है। बीएसएफ डीआइजी ने कहा कि हम सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। इसी का नतीजा है कि बीएसएफ द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियानों व तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बदौलत दक्षिण बंगाल सीमांत क्षेत्र में गो तस्करी का कारोबार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह नगण्य है।

बार्डर इलाकों में नदियों के जरिये की जाती है गो तस्करी। फाइल

- इस साल भी मवेशियों की तस्करी में भारी कमी दर्ज की गई
- दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण बार्डर में से एक

बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की विभिन्न वाहिनियों ने इस साल 30 नवंबर तक इस सीमा से बांग्लादेश में तस्करी की जा रही 1203 मवेशियों को तस्करी से बचाया है। पिछले साल यह संख्या 1175 थी।

-अमरीश कुमार आर्य, डीआइजी, फ्रंटियर के प्रवक्ता

दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण बार्डर में से एक

2018	38,657
2019	29,720
2020	5,449
2021	1611
2022	1175
2023	1203

70 से 75 प्रतिशत तक गो तस्करी इसी सीमा से होती थी

बीएसएफ अधिकारी के अनुसार, पहले इसी सीमा से बांग्लादेश में 70 से 75 प्रतिशत तक गो तस्करी होती थी, जिसके चलते यह सीमा इलाका बदनाम था। उन्होंने बताया कि इस सीमा से इस साल 30 नवंबर तक अवैध तरीके से सीमा पार करते 2,345 अवैध घुसपैठियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें 1,410 बांग्लादेशी और 864 भारतीय के अलावा 61 रोहिंग्या भी हैं।

दुर्गंध होने पर तुरंत मैसेज देगा डस्टबिन

नवाचार ▸ आइआइटी भिलाई के शोधार्थियों ने बनाई सेंसर युक्त स्मार्ट कचरा पेटी

भरने और खाली होने की सूचना भी मोबाइल पर देगा

टी.सूर्याराव, भिलाई

डस्टबिन भर जाने पर कचरे व गंदगी की दुर्गंध सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनता है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इस समस्या का निराकरण आइआइटी भिलाई के स्मार्ट डस्टबिन से निकल सकता है। छात्र नयन जैन द्वारा बनाए गए इस डस्टबिन के खाली रहने, आधा भरने और पूरा भरने पर आपको मोबाइल पर मैसेज जाएगा। साथ ही सेंसर युक्त डस्टबिन दुर्गंध आने पर भी अलर्ट करेगा।

आइआइटी भिलाई द्वारा निर्मित इस स्मार्ट डस्टबिन को हाथ से छूने की जरूरत नहीं है। दूर से ही हाथ दिखाने पर इसका ढक्कन स्वमेव खुल जाएगा। इसमें ऐसा सेंसर लगा है, जो लाइट के माध्यम से बता देगा कि कौन-सा डस्टबिन खाली है और कौन-सा भरा है। इसका फायदा एक ही जगह पर दो स्मार्ट डस्टबिन होने पर मिलेगा। डस्टबिन पुराना होने या टूटने की स्थिति में सेंसर काम आएगा। स्मार्ट डस्टबिन में जो सेंसर लगाए जाएंगे उसे डस्टबिन खराब होने के बाद भी नए डस्टबिन में लगाकर उपयोग किया जा सकेगा यानी पुराना सेंसर नए डस्टबिन में भी काम करेगा।

- **पुराना डस्टबिन खराब हो तो खोलकर नए पर लगा सकते हैं**

सेंसर युक्त डस्टबिन। सौ. आइआइटी

इस तरह मोबाइल पर भेजेगा मैसेज

डस्टबिन में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स एमक्यू 135 लगा होगा, जो डस्टबिन में रखे समान या कचरे के खराब होने और दुर्गंध होने की स्थिति में मोबाइल पर अलर्ट मैसेज देगा। आरडी यूनो का माड्यूल बोर्ड में सभी सेंसर लगाए जाएंगे, जो मोबाइल के वाट्सएप पर मैसेज भेजा करेगा। इसमें तीन लाइट भी लगाई जाएंगी, जो डस्टबिन के अंदर की स्थिति को बाहर से ही बता देंगी।

अधिक उत्पादन पर 800 रुपये लागत

स्मार्ट डस्टबिन को बनाने में 1200 रुपये का खर्च आएगा, जबकि अधिक मात्रा में इसका उत्पादन करने पर 800 रुपये लागत आएगी। इसमें लगने वाले सेंसर की कीमत कुल 400 रुपये बताई जा रही है। एक दिन में कितने भी डस्टबिन बनाए जा सकते हैं। स्मार्ट डस्टबिन में लगने वाले सेंसर काफी सस्ते हैं, जो 100-100 रुपये में मिलेंगे। एक दिन में कितने भी डस्टबिन बन सकते हैं।

सेंसर वाले डस्टबिन मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन स्मार्ट डस्टबिन पहली बार बनाया है। मुझे कुछ नया करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने नए-नए फीचर जोड़े हैं, जो आफिस, घर या किसी फैक्ट्री में डस्टबिन को लेकर काफी उपयोगी साबित होंगे।

-नयन जैन, छात्र, आइआइटी भिलाई

आइआइटी भिलाई में मेकाट्रानिक्स नया कोर्स शुरू किया गया है। छात्र-छात्राओं से कहा गया है कि वह नए एप्लीकेशन पर कम करें ताकि यह माडल सभी के लिए प्रेरणा बने।

-डा. गगन राज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, आइआइटी भिलाई

ओपीएस से राज्यों को होगा बड़ा आर्थिक नुकसान

आरबीआइ ने पुरानी पेंशन योजना अपनाने को लेकर एक बार फिर राज्य सरकारों को किया आगाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: आरबीआइ ने कुछ राज्यों में नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के फैसलों पर एक बार फिर राज्यों को आगाह किया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि यह पीछे की तरफ जाने वाला एक बड़ा कदम है। आर्थिक सुधारों की वजह से जो फायदे हुए हैं, यह उस पर पानी फेर सकता है। आरबीआइ ने यह टिप्पणी 11 दिसंबर को राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जारी सालाना रिपोर्ट में की है। वैसे राज्यों की वित्तीय स्थिति वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में काफी मजबूत होती दिख रही है। अधिकांश राज्यों के खजाने मजबूत हो रहे हैं और घाटा काबू में करने में इन्हें सफलता मिल रही है।

आरबीआइ ने कहा है कि वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 में राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार का सिलसिला चालू वित्त वर्ष के दौरान भी जारी रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। इसमें ओपीएस लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ राज्य ओपीएस लागू कर चुके हैं और कुछ दूसरे राज्यों में इसे लागू करने की बात सामने आ रही है।

आंतरिक अध्ययन बताता है कि अगर सभी राज्यों ने एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू कर दिया तो समग्र तौर पर राज्य सरकारों पर पेंशन का बोझ 4.5 गुना बढ़ जाएगा। वर्ष 2060 तक राज्यों के बजट के सापेक्ष पेंशन पर होने वाला व्यय सालाना 0.9 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ जाएगा। वर्तमान में अभी पुरानी पेंशन के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारी वर्ष 2040 तक सेवानिवृत्त होंगे। ये वर्ष 2060 तक आसानी से पेंशन उठाएंगे। अगर एनपीएस वाले कर्मचारियों को भी ओपीएस में शामिल करने का फैसला लिया जाता है तो राज्यों पर पड़ने वाले बोझ को आसानी से समझा जा सकता है।

- सभी राज्यों ने ओपीएस को लागू किया तो प्रदेश सरकारों पर पेंशन का बोझ 4.5 गुना बढ़ जाएगा
- वर्ष 2060 तक राज्यों के बजट के सापेक्ष पेंशन पर होने वाला व्यय सालाना 0.9% अतिरिक्त बढ़ेगा

राजस्व बढ़ाने के लिए इन्फ्रा क्षेत्र की संपत्तियां बेचें राज्य

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। अब राज्यों को गैर-कर राजस्व बढ़ाने के लिए परिसंपत्तियों की बिक्री करनी चाहिए। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सड़क, परिवहन और बिजली क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं जहां राज्य संपत्ति की बिक्री कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से उनका एक मूल्य तय होता है और उनको संभालने की लागत में कमी आती है। इससे राज्य सार्वजनिक धन को नई परियोजनाओं में लगाने में सक्षम बनते हैं, जिससे नए इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में तेजी आती है।

ओपीएस लागू करने की कोई योजना नहीं : वित्त मंत्रालय

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसके पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिर से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि नई पेंशन स्कीम के संदर्भ में उठे मुद्दों को देखने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति इस बात पर फैसला करेगी कि मौजूदा व्यवस्था के तहत किसी तरह की बदलाव की जरूरत है या नहीं। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा कानून के तहत इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत ग्राहकों और सरकार के हिस्से के फंड को राज्य सरकारों को वापस किया जा सके। वित्त राज्य मंत्री ने बताया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र को सूचना दी है कि उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू कर दिया है। इन राज्यों ने एनपीएस में अभी तक के अपने योगदान को वापस लेने का भी आग्रह किया है। हालांकि पीएफआरडीए कानून, 2013 में ऐसी किसी तरह की व्यवस्था का प्रविधान नहीं है।

रम पर होगी आसमानी आतिशबाजी

- फेथान धूमकेतु का मलबा आएगा पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क
- एक घंटे में देखी जा सकेंगी 120 से अधिक उल्कावृष्टि

उल्कावृष्टि का नजारा। फाइल

धूल कणों से भरा है अंतरिक्ष : हमारा अंतरिक्ष धूल-कणों से भरा हुआ है। जिस कारण जलती उल्काओं को अक्सर देखा जा सकता है। सामान्य अंधेरी रात में किसी अंधेरी जगह से प्रति घंटे 10 उल्कावृष्टि देखी जा सकती हैं। लेकिन अधिक संख्या में देखने के लिए वर्ष में कुछ ही रातों में यह अवसर मिलता है। उनमें से जेमिनीड शावर की रात सबसे आकर्षक मानी जाती है।

नामक धूमकेतु के मलबे के कारण होती है। दरअसल फेथान 524 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। यह सूर्य व बुध के बीच से होकर गुजरता है। पृथ्वी के करीब से गुजरते समय यह ढेर सारे धूल-कण व उल्काओं को धरती के मार्ग पर छोड़ जाता है। जब पृथ्वी उल्काओं के बीच होकर गुजरती है तो यही उल्काएं धरती के वातावरण से टकराने के कारण जल उठती हैं। जेमिनीड उल्काएं मिथुन तारामंडल से आती प्रतीत होती हैं, इसलिए जेमिनिड्स से जोड़ा गया है। मिथुन तारामंडल की सभी दिशाओं में उल्कावृष्टि नजर आएगी।

बिहार में मिली हिमालयी गोरल

जागरण संवाददाता, बेतिया

- वन प्रमंडल-एक की मानीटरिंग के दौरान देखा गया था स्तनधारी जीव
- क्षेत्र निदेशक ने कहा- वीटीआर में लगाए गए ट्रैप कैमरे में आई तस्वीर

हिमालय क्षेत्र में पाई जानेवाली गोरल (वैज्ञानिक नाम नेमोरहेडस) नामक स्तनधारी बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में मिली है। बीते दिनों इसे वन प्रमंडल-एक की मानीटरिंग में फुटेज देखा गया है। इसका स्वरूप बकरी और मृग जैसा है। यह उत्तर भारत, नेपाल, भूटान, दक्षिण तिब्बत और उत्तर पाकिस्तान में पाई जाती हैं। विपरीत जलवायु क्षेत्र में पाए जाने से वीटीआर अधिकारियों में इनके कुनबे को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है। क्षेत्र निदेशक डा. नेशामणि के. ने बताया कि वीटीआर में गोरल ट्रैप कैमरा में आया है और पहली बार देखा गया है। बाघ हमारे यहां अंब्रेला प्रजाति का है, इसकी सुरक्षा एवं प्रबंधन पर किए गए काम से अन्य प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है।

वीटीआर में संकटग्रस्त प्रजाति मौजूद :

वीटीआर में हिमालयी गोरल। सौ.वीटीआर

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड इंडिया के बिहार लैंडस्केप को-आर्डिनेटर डा. कमलेश कुमार मौर्य के अनुसार वीटीआर में 11 संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे पीले गले वाला नेवला, जंगली बिल्ली, चौसिंगा बर्मीज अजगर सफेद कान वाला बगुला, भारतीय भेड़िया, धूमिल तेंदुआ, हिमालय सेराव, कर्कस पेट वाली गिलहरी, चाइनीज पैंगोलिन, क्रैब इटिंग मैंगूज भी हैं।

भारत और वियतनाम ने शुरू किया सैन्य अभ्यास 'विनबैक्स-2023'

वियतनाम की राजधानी हनोई में सोमवार से शुरू हुए सैन्य अभ्यास 'विनबैक्स-23' में भाग लेने के लिए पहुंची 45 जवानों वाली भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये की चिंता के बीच भारत और वियतनाम ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास वियतनाम की राजधानी हनोई में सोमवार से शुरू हुआ। 'विनबैक्स-23' नामक अभ्यास 11 से 21 दिसंबर तक चलेगा।

भारतीय दल में 45 सैन्यकर्मी शामिल हैं, जिनमें से 39 बंगाल इंजीनियर ग्रुप की इंजीनियर रेजिमेंट से और छह आर्मी मेडिकल कोर से हैं। वियतनामी सेना की तरफ से भी इतने ही सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। विनबैक्स की शुरुआत 2018 में की गई थी। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। यह भारत और वियतनाम में बारी-बारी से आयोजित किया जाने वाला वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका पिछला संस्करण अगस्त 2022 में चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना ने कहा, 'संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच समझ और पारस्परिकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा तथा मित्रवत सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा।' भारत ने गत जुलाई में वियतनाम को अपना सेवारत युद्धपोत 'आइएनएस कृपाण' उपहार में दिया था। आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन) के महत्वपूर्ण सदस्य वियतनाम का दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन से विवाद है।

कौशिक अकैडमी

बांग्लादेश : विरोध-प्रदर्शन शेख हसीना के लिए मुसीबत

जनसत्ता संवाद

बांग्लादेश एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई आर्थिक सफलता पर सवालिया निशान लगा रही है। अगले वर्ष जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं मगर उससे पहले बांग्लादेश की नेता शेख हसीना की सत्ता पर कड़ी होती पकड़ को जनता चुनौती दे रही है।

विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी उन पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाल रही है और कह रही है कि अगर चुनाव से पहले तटस्थ अंतरिम सरकार नहीं बनी तो वो चुनाव का बहिष्कार करेगी। मगर शेख हसीना की सरकार

लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोपों का खंडन कर रही है और हजारों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। सरकार और विपक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। चीन के प्रभाव को देखते हुए अमेरिका के लिए भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के आगामी चुनावों पर अमेरिका की भी नजर होगी और वह चाहेगा कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हों। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या अमेरिका उस पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव डालेगा या नहीं यह देखने वाली बात है। यूरोपीय संघ भी चाहता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बरकरार रहे, लेकिन अगर विपक्षी दल बीएनपी चुनाव का बहिष्कार करती है तो क्या यह संभव हो पाएगा।

गौरतलब है कि भारत के बांग्लादेश की सत्ताधारी अवामी लीग पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। व्यापार, ऊर्जा, संपर्क और अतिवादी गतिविधियों संबधी कई मुद्दों पर वो बांग्लादेश के साथ सहयोग चाहता है। जिस प्रकार भारत के हित बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं उसी वजह से चीन के लिए भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण है और उसके भी संबंध अवामी लीग के साथ अच्छे हैं।

बिगड़ रही देश के खेतों की सेहत

जनसत्ता संवाद

भारत में भूमि गुणवत्ता में आती गिरावट से कृषि उत्पादकता को हर वर्ष औसतन 3,654 रुपए प्रति हेक्टेयर का नुकसान हो रहा है। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आइएआरआइ) के शोधकताओं द्वारा नुकसान की यह गणना 2011-12 की कीमतों के आधार पर की गई है।

वहीं, शोध में यह भी सामने आया है कि भू-क्षरण में एक फीसद की वृद्धि के चलते कृषि उत्पादकता को होने वाला यह नुकसान प्रति हेक्टेयर औसतन 104 रुपए बढ़ जाएगा। हालांकि साथ ही शोधकताओं ने यह भी जानकारी दी है कि भूमि क्षरण में 10 फीसद की गिरावट से उत्पादकता को होने वाला नुकसान घटकर 3,145 रुपए प्रति हेक्टेयर रह जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आइएआरआइ) के शोधकताओं द्वारा किए इस अध्ययन के नतीजे जर्नल लैंड डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट में प्रकाशित हुए हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजंसी (एनआरएसए) के हालिया अनुमान के मुताबिक देश में करीब 9.64 करोड़ हेक्टेयर जमीन यानी देश का करीब 29.3 फीसद हिस्सा भूमि की गुणवत्ता में आती गिरावट से जूझ रहा है। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के मुताबिक देश में करीब 12 करोड़ हेक्टेयर जमीन गुणवत्ता में आती गिरावट का शिकार है। देखा जाए तो 21वीं सदी में भू-क्षरण भारतीय कृषि के लिए एक बड़ी समस्या बन कर उभरा है। एक तरफ जहां इस दौरान कृषि में आधुनिकरण का समावेश हुआ है, जिसके चलते नई तकनीकों और कृषि पद्धतियों ने पैदावार को बढ़ाने में मदद की है। वहीं, दूसरी तरफ इस दौरान भू-क्षरण और भूमि की गुणवत्ता में आती गिरावट ने नई चुनौतियां भी पैदा की हैं।

21वीं सदी में भू-क्षरण भारतीय कृषि के लिए एक बड़ी समस्या बन कर उभरा है। एक तरफ जहां इस दौरान कृषि में आधुनिकरण का समावेश हुआ है, जिसके चलते नई तकनीकों और कृषि पद्धतियों ने पैदावार को बढ़ाने में मदद की है। वहीं, दूसरी तरफ इस दौरान भू-क्षरण और भूमि की गुणवत्ता में आती गिरावट ने नई चुनौतियां भी पैदा की हैं।

(फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के किसानों को हो रहा है सबसे ज्यादा नुकसान : राज्य-स्तरीय आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि राज्यों में भू-क्षरण के कारण सालाना होने वाले आर्थिक नुकसान में काफी विभिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए जहां उत्तर प्रदेश में भूमि की गुणवत्ता में आती गिरावट से प्रति हेक्टेयर 15,212 रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं, केरल में यह नुकसान 7,489 रुपए प्रति हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 5,856 रुपए, कर्नाटक में 5,843 रुपए, असम में 5,168, महाराष्ट्र में 4,902, आंध्र प्रदेश में 4,741 जबकि दिल्ली 3,940 रुपए प्रति हेक्टेयर आंका गया है। यह सभी वो राज्य या केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां भूमि की गुणवत्ता में आती गिरावट से कृषि उत्पादकता को होने वाला नुकसान राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।

इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश में इसकी वजह से प्रति हेक्टेयर 51 रुपए जबकि सिक्किम में 72 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 105, मिजोरम में 283, पंजाब में 653 और मेघालय में 901 जबकि मणिपुर में 953 और उत्तराखंड में प्रति हेक्टेयर 968 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है।

भूमि की गुणवत्ता में आती यह गिरावट केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वैश्विक स्तर पर भूमि की गुणवत्ता में आती गिरावट के जो आंकड़े यूएन कन्वेंशन टू कांबैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) ने साझा किए हैं उनके मुताबिक 2015 से करीब मध्य एशिया के बराबर 42 करोड़ हेक्टयर उपजाऊ जमीन भू-क्षरण की भेंट चढ़ चुकी है। इसकी वजह से दुनिया भर में दाने-पानी की समस्या पैदा हो गई है, जो सीधे तौर पर 130 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है।

भारतीय विदेश नीति

पड़ोसी देशों से समन्वय की चुनौतियां और प्रयास

जनसत्ता संवाद

वर्तमान में भारतीय विदेश नीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों में निहित है। भारत ने वैश्विक दक्षिण में अग्रणी राष्ट्र,वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों में मध्यस्थ और विश्व राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्ता बनने जैसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रखें हैं। इस संदर्भ में भारत को अपने ही पड़ोसी देशों से बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अन्य प्रमुख शक्तियों के विपरीत, भारत को दक्षिण एशिया में जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस तरह की परिस्थिति इस क्षेत्र में एक उभरती हुई महाशक्ति के कारण और भी जटिल हो गई है। यद्यपि भारत क्षेत्रीय सहयोग का लक्ष्य रखता है, परंतु पड़ोसी देश भारत के दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपनाने में झिझकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इसकी आकांक्षाओं में अप्रत्यक्ष रूप से बाधाएं उत्पन्न कर रहे है।

(फाइल फोटो)

हम देश के भीतर बहस कर सकते हैं लेकिन देश के बाहर हमें एकजुट होकर प्रदर्शन करना चाहिए। आज विपक्ष के आचरण पर गौर किया जाना चाहिए, जब राष्ट्रीय हित की बात हो तो राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए और राष्ट्र की सफलता की सराहना की जानी चाहिए। विदेश नीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें देश के बाहर भारत की छवि को एकजुट रखना चाहिए।

- एस जयशंकर, विदेश मंत्री

जब भी कोई संकट आता है, हम अपने देश पर भरोसा कर सकते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना। सूडान में 'आपरेशन कावेरी' के जरिए लोगों को भारत वापस लाना और नेपाल में भूकंप आया हो या फिर म्यांमार में तूफान हमने अपनों के साथ-साथ अन्य देशों के लोगों को भी बचाया। यह हमारी विदेश नीति में बदलाव का अहम उदाहरण है।

- विनय क्वात्रा, विदेश सचिव

संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न पहल

'नेबरहुड फर्स्ट' नीति: यह नीति पड़ोसी देशों की चिंताओं और प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए आपसी सम्मान, समझ और संवेदनशीलता पर जोर देती है।

एक्ट ईस्ट पालिसी: यह पहल क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाइ और एशिया-प्रशांत देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

कनेक्टिविटी पहल: भारत अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे, ईरान में चाबहार बंदरगाह और म्यांमार में कलादान मल्टीमाडल पारगमन परिवहन जैसी परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है।

राजनयिक संसाधनों का विस्तार राजनयिकों की कमी भारत की विदेश नीति के कार्यान्वयन में बाधा डालती है। भारत को इस कमी को खत्म करने की जरूरत है।

पड़ोसी देशों के साथ भारत की विदेश नीति का विकास

औपनिवेशिक युग के दौरान, भारत की विदेश नीति काफी हद तक ब्रिटिश हितों से प्रभावित थी। भूटान ने अपने रणनीतिक दर्रे अंग्रेजों को सौंप दिए थे, लेकिन अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। 1816 में अंग्रेजों के पक्ष में सगौली की संधि के साथ नेपाल की स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई थी। आंग्ल-बर्मा युद्धों के कारण 1885 में बर्मा पर नियंत्रण हो गया था। 1950 और 1960 के बीच की अवधि में भारतीय विदेश नीति आदर्शवाद से प्रेरित थी।

इस नेहरुवादी चरण में भारत की विदेश नीति ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) और चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों को अपनाया परंतु 1962 के भारत-चीन युद्ध ने संबंधों के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया। 1970 और 1980 में भारत ने आदर्शवाद से यथार्थवाद की विदेश नीति को अपनाया। इस दौरान भारत ने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हस्तक्षेप करते हुए एक अधिक मुखर विदेश नीति प्रकट की। 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क का गठन किया गया। 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते ने श्रीलंका के गृहयुद्ध को संबोधित किया और 1988 में आपरेशन कैक्टस ने मालदीव में तख्तापलट को विफल कर दिया था। शीत युद्ध के बाद भारत ने बदली वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में अपनी विदश नीति में आर्थिक विकास को प्राथमिकता प्रदान की और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को अधिक प्रगाढ़ बनाया ।

इसी प्रकार भारत की 'पूर्व की ओर देखो' नीति (1991) का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना था। गुजराल सिद्धांत (1996) ने पड़ोसियों के साथ गैर-पारस्परिकता, गैर-हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर जोर दिया।

बिम्सटेक (1997) और आइओआरए (1997) ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। 2014 में शुरू की गई 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और विकास पर बल देते हुए दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर के देशों के साथ संबंध बढ़ाना है।

नीतिगत रुख और मान्यताएं

भारत की नीति अपने पड़ोसी देशों में सत्ता में बैठे लोगों पर ही केंद्रित रहती है जिससे अन्य सत्ता केंद्र अलग-थलग पड़ जाते हैं जो बदली परिस्थियों में भारत के लिए दुविधा उत्पन्न करता है । उभरती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के आलोक में यह संदेहपूर्ण है कि विश्वास कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध स्वाभाविक रूप से बेहतर संबंधों को बढ़ावा देंगे।

भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियां

मालदीव में राजनीतिक रूप से भारत विरोधी शासन की स्थापना हुई है और वहां की सरकार भारतीय नागरिकों से वहां से चले जाने का आग्रह कर रही है यह भारत के समक्ष एक प्रत्यक्ष चुनौती है।

मोदी-पुतिन की दोस्ती, भारत रूस के रिश्तों का अहम पड़ाव

जनसत्ता संवाद

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि मोदी ने भारत के हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया और वो किसी दबाव में नहीं आए। पुतिन ने यह टिप्पणी 'रशिया कालिंग' फोरम में की।

उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच रिश्ते हर क्षेत्र में मजबूत हो रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि वो ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मोदी को डराया जा सकता है या कोई ऐसा कदम उठाने या निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जो भारत के लोगों या भारत के हितों के विपरीत हो। यह पहला मौका नहीं है जब रूसी राष्ट्रपति ने मोदी की तारीफ की है। इससे पहले जून में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी रूस के गहरे दोस्त हैं।

पुतिन के ताजा बयान के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, इसके पीछे वो पुतिन और मोदी की गहरी दोस्ती का हवाला देते हैं। सबसे हालिया उदाहरण जी 20 का नई दिल्ली घोषणापत्र है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी इसलिए रूस और रूसी राष्ट्रपति इस बात को बखूबी समझते हैं कि भारत और भारतीय प्रधानमंत्री उनके लिए क्या मायने रखते हैं। साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की लगभग अलग-अलग मौके पर सालाना मुलाकात होती रही हैं। इन मुलाकातों में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों की बुनियाद रखी गई। जुलाई 2014 ब्रिक्स सम्मेलन में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। तब प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से कहा था, सवा सौ करोड़ भारतीयों से अगर आप पूछेंगे कि भारत का सबसे करीबी मित्र कौन है, तो हर बच्चा कहता है कि रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हर संकट की घड़ी में कोई एक देश जो बिना किसी समझौते भारत के साथ खड़ा रहा, तो वो रूस ही है।

जुलाई, 2015, 7वें ब्रिक्स सम्मेलन के इतर दोनों देशों के नेताओं की दोबारा बैठक हुई। रूस ने जिस तरह अतंरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी सराहना की। पुतिन ने कहा कि उन्होंने कभी योग नहीं किया लेकिन आने वाले समय में वो योग करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय संस्कृति में काफी दिलचस्पी रखता है। दिसंबर, 2015 में 16 वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और परमाणु ऊर्जा से जुड़े 16 समझौते हुए।

आपसी तालमेल

साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की अलग-अलग मौके पर लगभग सालाना मुलाकात होती रही हैं। इन मुलाकातों में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों की बुनियाद रखी गई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी तालमेल चर्चा का विषय रहे।

रूस ने घोषणा की कि वो भारत में अगले बीस सालों में कम से कम छह न्यूक्लियर पावर यूनिट बनाने की योजना बना रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को तोहफे के रूप में महात्मा गांधी की हस्तलिखित डायरी का एक पन्ना दिया। बदले में पुतिन ने मोदी को 18वीं सदी की एक तलवार भेंट की। फिर साल 2016 में 8वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन गोवा में हुआ। इस दौरान भी दोनों देशों के नेताओं ने मुलाकात की। दो घंटे लंबी चली बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे सहित 16 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए।

इसी तरह 2017,2018 में भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। 2019 में दो बार दोनों नेताओं की एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। साल 2021, में भारत-रूस के 21वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने पुतिन भारत पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कुल 28 समझौते हुए थे।

कौटिल्य अकेडमी